भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3318

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की नीतिगत समीक्षा

†3318. श्री वैजयंत पांडाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऋण पहुँच से इतर 'पीएम स्वनिधि' योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई नीतिगत समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अतिरिक्त गैर-ऋण सहायता के दायरे की जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी अगले चरण में नीतिगत संवर्द्धन पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) जी हाँ। पीएम स्वनिधि योजना के प्रभाव आकलन अध्ययन वर्ष 2023 और 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद द्वारा किए गए थे। 2023 के अध्ययन में पाया गया कि 95% लाभार्थियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत लिया गया ऋण पहला बैंक ऋण था और इस ऋण का उपयोग उन्होंने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए किया है। वर्ष 2025 के अध्ययन में पाया गया कि स्वनिधि ऋणधारकों की औसत वार्षिक व्यवसायिक आय में वर्ष 2023 से 2025 के बीच लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सभी चरणों में लगभग 30 प्रतिशत ऋणधारकों ने यह सूचित किया है कि उनके पास पीएम स्वनिधि ऋणों के अतिरिक्त अन्य ऋण भी हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि यह योजना उन विक्रेताओं के लिए क्रेडिट इतिहास बनाने में सहायक रही है, जिनकी पहले औपचारिक ऋण तक

पहुंच बहुत कम थी या नहीं थी। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस योजना का प्रभाव व्यवसाय पुन: शुरू करने से कहीं ज्यादा व्यापक है। इस योजना ने ऋण संबंधी बाधाओं को कम करके और पारिवारिक कैश फ्लो को स्थिर करके, विक्रेता परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है, स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच बढ़ाई है और बच्चों की शिक्षा में सहायता प्रदान की है।

(ग) सरकार ने अगस्त 2025 में पुनर्संरचित पीएम स्वनिधि योजना को अनुमोदन दे दिया है, जिसके तहत योजना के अंतर्गत ऋण देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। पुनर्संरचित योजना में पहली किस्त और दूसरी किस्त के लिए ऋण राशि को क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। पुनर्संरचित योजना में अब खुदरा डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक के अलावा थोक खरीदारी पर भी कैशबैक का प्रावधान है। इस योजना में सांविधिक शहरों से आगे बढ़कर जनगणना शहरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरी ऋण किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है।

****